

24/9/25

वकील प्रार्थी व प्रार्थी उपस्थित नहीं। अप्रार्थी
संख्या 1 लगायत 3 भी अनुपस्थित। वकील
प्रार्थी व प्रार्थी को रक-2 कर आवजे लगाने
के बाद भी वकील प्रार्थी व प्रार्थी के उपस्थित
नहीं होने से प्रार्थना पत्र कन्टेम्प्ट अदालत
द्वारा अदालत पैरवी में खारिज किया जाता है।
प्रार्थना पत्र कन्टेम्प्ट दायित्व दफतर है
व नम्बर से कम है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा